

शुद्ध-नम्ये को पूर्व अंगवर्णन के
बिना वाक्य द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमत्. अनुपति ५३ के अधीन
एन. पी. २ इच्छू. पी/५०५/५४.



सं. क्रमांक: भोपाल विद्योत्तर
एन. पी. २/५०५/५४

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १९२]

भोपाल, शनिवार, दिनांक २६ अप्रैल १९९५—वैशाख ३, शक १९२०

पिछड़ा वर्ग एवं आत्मसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक २४ अप्रैल १९९४

क्र. १०२६-९७-बीवन-१-४९०.—मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९५ (क्रमांक २६ सन् १९९५) की धारा १३ की उपधारा (१) और धारा १४ के खण्ड (क) तथा १४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हेतु, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित विधायक संशोधन के, अधिसूचना :-

१. **संशोधन नाम तथा प्रारंभ**—(१) इन विधायकों का संशोधन नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (लेखा को वार्षिक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, १९९४ है।

(२) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. **परिभाषाएं**—इन विधायकों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अज्ञेय न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९५ (क्रमांक २६ सन् १९९५),

(ख) "लेखा वरीषा अधिकारी" से अभिप्रेत है मन्त्रालय/मध्यप्रदेश क्वारिटर का उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आयोग के लेखा वरीषा के संबंध में नियुक्त व्यक्ति,

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन),

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ३ के अधीन स्तित मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

- (ग) "वित्तिय वर्ष" से अभिप्रेत है, अप्रैल को प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष,
- (घ) "प्रकल्प" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रकल्प,
- (ङ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए घोषित विभागाध्यक्ष,
- (च) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य,
- (छ) "सचिव" से अभिप्रेत है आयोग का सचिव,
- (ज) इन शर्तों और अधिकांशतयां तिनमें इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया है का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दूने दिया गया है

3. आयोग का लेखा.—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग का वार्षिक लेखा विवरण सचिव या आयोग के ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा जैसा कि इस विहित सचिव द्वारा प्रविष्टित किया जाए.

(2) आयोग द्वारा समस्त रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखा का विवरण सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को उस तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए.

(3) आयोग, राज्य सरकार को अन्ततः लक्ष्य को तिम ही पूर्तीकरण की प्रगति अपेक्षित करेगा और वित्तीय वर्ष के शेष भाग में संभवित अन्ततः लक्ष्य की प्रगति राज्य सरकार द्वारा जब भी मांगी जाए, अपेक्षित करेगा.

(4) आयोग यह प्रमाणित करने द्वारा कि प्रायः राज्य का उपयोग विधेयों और शर्तों के अनुसार किया गया है, वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पर भी देगा.

(5) सचिव, आयोग के लेखे रखे जाने, वित्तीय विवरण का मिलान और विवरणों का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लेखे, अर्थात् संचालित बाउन्डर और अन्य दस्तावेज एवं कामकाज जो आयोग के लेखे की परीक्षा के प्रयोजन के लिए रखे जायेंगे अधिकारी द्वारा अर्पित हैं इस पर्यवेक्षण के निपटारे के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं.

(6) आयोग का लेखा बिसर्ग आर्थिक लेख भी सम्मिलित है इन नियमों से संलग्न प्रकल्प "क" में इसके गठन की जायोज से रखा जाएगा.

(7) अधिनियम की धारा 15 को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा का वार्षिक विवरण सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अभिप्रमाणित किया जाएगा.

(8) लेखा का वार्षिक विवरण जिस वर्ष से लेखा संशोधन है उस वर्ष के परचात् के 30 दिन से पूर्व लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और लेखा परीक्षा अधिकारी आयोग के लेखा को लेखा परीक्षा करेगा तथा राज्य सरकार की भेजेगी और राज्य सरकार अनुमोदन के परचात् यह रिपोर्ट अनुपालन के लिए आयोग को भेजेगी.

(9) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रगति पर आयोग रिपोर्ट में चलाई गई किसी त्रुटि या अतिव्ययिता को तीन मास के भीतर निराकरेगा और उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य सरकार तथा विभागाध्यक्ष को देगा.

4. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.—(1) सचिव, अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के जितने पर संबंधित है, 31 दिसंबर या उससे पूर्व इन नियमों से संलग्न प्रकल्प "ब" में तैयार करेगा.

(2) उप विवरण (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदन के लिये आयोग के समक्ष रखी जाएगी.

(3) उप विवरण (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा अनुमोदन के परचात् आयोग के अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा सभी सदस्यों द्वारा उस्ताक्षरित की जाएगी तथा सचिव द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी.

(4) अभिप्रमाणित रिपोर्ट की प्रतियां सचिव द्वारा राज्य सरकार को उस वर्ष की, जिससे रिपोर्ट संबंधित है कि परचात् 31 अगस्त तक अधिनियम की धारा-15 के अधीन अपेक्षित कार्यवाही करने में राज्य सरकार को तमर्थ धन के लिए प्रस्तुत की जाएगी.

प्ररूप "अ"

आयोग का लेखा

[नियम 3 (6) देखिए]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की प्राप्ति और संदाय लेखे

प्राप्तियां (1)	योजना (2)	गैर योजना (3)	कुल रकम (4)	संदाय (5)	योजना (6)	गैर योजना (7)	कुल रकम (8)
1.	आरम्भिक अतिशेष			I	आवर्ती व्यय		
	हाथ नकदी, बैंक नकदी			1.	(क) स्थापना प्रभार		
				1.	वेतन (अध्यक्ष और आयोग के सदस्य)		
2.	कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान आवर्ती गैर आवर्ती			2.	वेतन (अधिकारी और स्थापना)		
3.	आयोग द्वारा प्राप्त राजस्व योजना आवर्ती (क) विनिधान			3.	वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिये संदाय		
	1. प्रत्येक मूल्य या भुनाया गया विनिधान			4.	यात्रा व्यय		
	2. विनिधान पर ब्याज						
	3. बैंक खातों तथा अल्प अवधि जमा पर ब्याज						
	बी/एफ				बी/एफ		
	(ख) राजस्व प्राप्तियां				(ख) अन्य स्थापना प्रभार		
	1. प्रकीर्ण प्राप्तियां				(1) मजदूरी		
	2. आयोग द्वारा प्रभारित फीस यदि कोई हो				(2) कार्यालय व्यय		
	3. प्रकाशनों का विक्रय				(3) किराया दरें और कर		
	4. कर्मचारियों को अग्रिम के लिए ब्याज की प्रतियां				(4) प्रकाशन		
	(ग) ऋण/निक्षेप प्राप्तियां				(5) विज्ञापन और प्रचार		
	(एक) कर्मचारीवृन्द की अग्रिमों की वसूली गृह निर्माण अग्रिम				(6) आतिथ्य व्यय		
	मोटर कार/स्कूटर अग्रिम				(7) मरम्मत और अनुरक्षण		
	अन्य अग्रिम				(8) फर्नीचर और फिक्सचर		
	(दो) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली के. लो. नि. वि. को अग्रिम				(9) मशीनरी और उपस्कर		
					(10) मोटरयान		
					(11) यानों का अनुरक्षण		
					(12) पेट्रोल, तेल और स्नेहक तेल		
					(13) सभाएं और सेमिनार		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	डी. जी. एस. एण्ड डी. को अग्रिम प्रदायकर्ताओं को अग्रिम, अन्य अग्रिम.			(14) टेलीफोन प्रभार (15) अन्य प्रभार (16) मुकदमा (17) लेखा परीक्षा फीस			
	(तीन) अन्य निक्षेप			(ग) भविष्य निधि और अन्य अंशदान			
	प्रतिभूति निक्षेप अग्रिम धन निक्षेप प्रेषण प्राप्तियां जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. इत्यादि प्रतिनियुक्ति धारियों में वसूली अनुज्ञप्ति फीस आयकर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम			1. पेंशन और उपदान (जिसमें पेंशन और एल.एस.पी.सी का सारांशीकरण सम्मिलित है) 2. बीमा स्कीम से सम्बद्ध निक्षेप 3. सा.भ.नि. पर ब्याज 4. सा. भ. नि. अग्रिम/अंतिम संदाय 5. सी. जी. ई. एस. आई. एस./सी. जी. ई. आई. एस.			
	डाक जीवन बीमा केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम गैर आवर्ती			(घ) अन्य संगठनों को सहायता अनुदान मुकदमों और विशेष अध्ययनों में व्यय प्रोत्तिकारक शैक्षिक अनुसंधान			
				(ङ) विनिधान विनिधान (अनुसूची में दर्शित होने वाले व्यौरें)			
				(च) आकस्मिक अग्रिम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम, डी.जी.एस. और डी. को अग्रिम, प्रदायकर्ता को अग्रिम, अन्य अग्रिम. वी/एफ			
				(छ) कर्मचारी वृन्द को अग्रिम 1. गृह निर्माण अग्रिम 2. मोटर कार अग्रिम 3. मोटर कार/स्कूटर अग्रिम 4. अन्य अग्रिम			
				(ज) अन्य समायोजन (प्रेषण) 1. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. इत्यादि प्रतिनियुक्ति धारियों से. वसूली 2. अनुज्ञप्ति फीस			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. आयकर			
				4. केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम			
				5. हाक जीवन बीमा			
				6. सी.जी.ई.जी.आई.एस./सी.जी.ई.आई.एस.,			
				(II) गैर आवर्ती			
				(क) अन्य स्थापना प्रभार			
				1. भूमि			
				2. भवन			
				3. फर्नीचर और फिक्सचर			
				4. मशीनरी और उपस्कर			
				5. मोटर यान			
				6. प्रकाशन			
				(ख) निक्षेप			
				1. प्रतिभूति निक्षेप			
				2. अग्रिम धन निक्षेप			
				(ग) अंतिम नकद अतिशेष में			
				हाथ नकदी			
				बैंक नकदी			

कुल . .

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

31 मार्च 199 को समाप्त अवधि के लिये भविष्य निधि और समूह बीमा स्कीमों आदि की प्राप्ति और संदाय लेखा

प्राप्तियां (1)	रकम (2)	संदाय (3)	रकम (4)
अ. साधारण भविष्य निधि		अ. साधारण भविष्य निधि	
(क) आरंभिक अतिशेष		(क) अग्रिम/निकासी/अंतिम संदाय	
(ख) अभिदान		(ख) अतिशेष का विनिधान	
(ग) अग्रिम की वसूली		(ग) अंतिम अतिशेष-बैंक नकदी	
(घ) ब्याज			
आ. समूह बीमा स्कीम		आ. समूह बीमा स्कीम	
(क) आरंभिक अतिशेष		(क) बीमा रक्षण के लिए संदाय	
(ख) बीमा निधि		(ख) बचत निधि का संदाय	
(ग) बचत निधि		(ग) विनिधान	
		(घ) अंतिम अतिशेष बैंक नकदी	

योग . .

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय के लेखे

व्यय (1)	योजना (2)	गैर योजना (3)	कुल व्यय (4)	आय (5)	योजना (6)	गैर योजना (7)	कुल रकम (8)
-------------	--------------	------------------	-----------------	-----------	--------------	------------------	----------------

झ. आवर्ती

(क) स्थापना प्रभार :

1. वेतन [आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य]
2. वेतन (आयोग का अधिकारी और स्थापना)
3. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय
4. यात्रा व्यय

(ख) अन्य स्थापना प्रभार :

1. मजदूरी
2. कार्यालय व्यय
3. किराया, दर और कर
4. विज्ञापन और प्रचार
5. आतिथ्य व्यय
6. प्रकाशन
7. मरम्मत और अनुरक्षण
8. फर्नीचर और फिक्सचर की मरम्मत
9. मशीनरी और (उपस्कर) की मरम्मत

झ. योजना :

अ. कल्याण मंत्रालय से अनुदान द्वारा सहायता :
घटाएं-पूँजीकृत सहायता अनुदान की रकम

आ. ब्याज के खाते पर प्राप्ति :

- (1) विनिधान पर ब्याज
- (2) बैंक खाते और लघु अवधि निक्षेप पर ब्याज

(ई) अन्य प्राप्तियां :

- (1) प्रकीर्ण प्राप्तियां
- (2) आयोग द्वारा प्रभारित फीस यदि कोई हो
- (3) प्रकाशनों का विक्रय
- (4) कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज की प्राप्तियां

योग

सचिव
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
भोपाल.

व्यय	योजना गैर योजना कुल व्यय आय	योजना गैर योजना	कुल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)

9. (अ) यानों का अनुरक्षण :

10. पेट्रोल, तेल और स्नेहक तेल
11. सभा और सेमीनार
12. टेलीफोन प्रभार
13. अन्य प्रभार
14. विधिक प्रभार
15. लेखा परीक्षा फीस

(ग) भविष्य निधि और अन्य अंशदान :

1. पेंशन और उपदान
(पेंशन और एलएसपीजी का सारांशीकृत मूल सम्मिलित है)
2. सी. पी. एफ. को अंशदान
3. बीमा स्कीम से सम्बद्ध निक्षेप
4. सी. पी. एफ. पर ब्याज
5. जी. पी. एफ. पर ब्याज
6. समूह बीमा स्कीम
(क) बीमा निधि
(ख) बचत निधि

(घ) अन्य संगठनों को सहायता :

विशेष अध्ययन और मुकदमे वाजी पर व्यय
प्रोन्नतिकारक और शैक्षिक अनुसंधान
आय से व्यय से की अधिकता

आय से व्यय की अधिकता

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

31 मार्च 1999 को तुलनपत्र

दायित्व	रकम	आस्तियां	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
पूंजी आस्ति निधि	अनुसूची-1	स्थिर आस्तिया विनिधान	अनुसूची-3A अनुसूची-3A
	अनुसूची-2	आकस्मिक अग्रिम और (अन्य ऋण)	अनुसूची-3

(1)	(2)	(3)	(4)
आय से व्यय की अधिकता चालू दायित्व और उपबंध प्रेषण भविष्य निधि इत्यादि	अनुसूची-3 अनुसूची-4 अनुसूची-5	प्रतिभूति/अग्रिम जमा धन भविष्य निधि इत्यादि विविध देनदार अंतिम अतिशेष हाथ नकदी बैंक नगदी	अनुसूची-ई अनुसूची-उ अनुसूची-ऊ

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची 1 पूंजी आस्तिनिधि

क्रम संख्या	वर्णन	आरंभिक रोकड़	परिवर्धन	बट्टेखाते में डाली गई रकम	अन्त अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और फिक्चर्स				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	यान				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान दी गई आस्तियां				
8.	अन्य				

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची 2 व्यय से आय की अधिकता

क्रम संख्या	विवरण	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	अंतिम तुलनपत्र के अनुसार अतिशेष	
2.	व्यय से आय की अधिकता	
3.	अन्य	

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-3 विप्रेषण

क्रम संख्या	विवरण	प्रारंभिक अतिशेष	परिवर्धन	विप्रेषित रकम	अन्तशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	साधारण भविष्य निधि इत्यादि				
2.	प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारीवृन्द से वसूली				
3.	अनुज्ञप्ति फीस				
4.	आयकर				
5.	केन्द्र स्वास्थ्य स्कीम				
6.	डाक जीवन बीमा				
7.	केन्द्र कर्मचारी समूह बीमा स्कीम				
	अन्य				
योग . .					

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-4 भविष्य निधि इत्यादि

क्रम संख्या	विवरण	रकम
(1)	(2)	(3)
अ.	साधारण भविष्य निधि	
1.	प्रारंभिक अतिशेष	
2.	अभिदान	
3.	अग्रिम की वसूली	
4.	ब्याज	
	घटाइए : अग्रिम/अंतिम भुगतान/विनिधान	उप-योग
आ.	समूह बीमा स्कीम	
(क)	बचत निधि	
1.	प्रारंभिक अतिशेष	
2.	अंशदान	
3.	ब्याज	
	घटाइए : भुगतान/विनिधान	उप-योग
(ख)	बीमा निधि	
1.	प्रारंभिक अतिशेष	
2.	अभिदान	
3.	ब्याज	
	घटाइए : भुगतान/विनिधान	उप-योग
महा योग . .		

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-5 विविध लेनदार/अन्य दायित्व

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	प्रति संदाय (5)	कुल रकम (6)
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
3.	विविध लेनदार				
4.	अन्य दायित्व				
योग . . .					

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-अ आस्ति निधि

(नियत /पंजी आस्ति निधि)

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	बट्टेखाते में डाटो गई रकम (5)	अन्तशेष (6)
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और फिक्चर्स				
4.	मशीनरी				
5.	यान				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान दी गई आस्तियां				
8.	अन्य				
योग . . .					

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-आ विनिधान

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	रकम (3)
1.	बैंक में नियत जमा (क) प्रारंभिक अतिशेष (ख) किया गया विनिधान (ग) भुनाया गया विनिधान (घ) अंत शेष	

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-इ आकस्मिक और अन्य अग्रिम

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	वसूलियां (5)	अन्तशेष रकम (6)
अ.	आकस्मिक अग्रिम				
	(क) लोक निर्माण विभाग को अग्रिम				
	(ख) महानिदेशक पूर्ति और निपटान (डी जी एस एंड डी) को अग्रिम				
	(ग) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम				
आ.	कर्मचारियों को अग्रिम				
	(क) गृह निर्माण अग्रिम				
	(ख) मोटर कार अग्रिम				
	(ग) मोटर कार/स्कूटर अग्रिम				
	(घ) अन्य अग्रिम				
इ.	अन्य अग्रिम				
योग . .					

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-ई प्रतिभूति/अग्रिम धन जमा

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	प्रति संदत्त (5)	अंत शेष (6)
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
योग . .					

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुमूची-उ भविष्य निधि, इत्यादि

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	रकम (3)
(एक)	सामान्य भविष्य निधि प्रारंभिक अतिशेष जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान घटाइए : भुनाया गया विनिधान रोकड़ में अतिशेष रकम	
(दो)	समूह बीमा स्कीम (1) बचत निधि प्रारंभिक अतिशेष जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान घटाइए : भुनाया गया विनिधान रोकड़ में अतिशेष रकम (2) बीमा निधि प्रारंभिक रोकड़ जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान घटाइए : भुनाया गया विनिधान रोकड़ में अतिशेष रकम	

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुमूची-ऊ विविध देनदार

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	समायोजन (5)	अंत शेष (6)
अ. आ. इ. ई.					
योग					

सचिव